...त्र हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :– 69/2025 बनवारी बनाम तहसीलदार प्रार्थना पत्र अ. धा. 144 सी.पी.सी.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/5/25	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि वाके ग्राम/कस्बा झुंझुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं में भूमि खसरा नं. 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3182 कुल रकबा 15.83 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि से संबंधित एक वाद पत्र मुकदमा संख्या 124/2015 उनवानी प्रदीप बनाम मंगलचंद न्यायालय हाजा में विचाराधीन था जो दिनांक 22.02.2016 को निर्णय पारित हुआ था। उक्त निर्णय की पालना में नामान्तकरण संख्या 3392 दिनांक 21.03.2016 को स्वीकृत हुआ। दिनांक 22.02.2016 के निर्णय की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी में किता 2 अपील उनवानी मंगलचंद बनाम प्रदीप मुकदमा संख्या 65/2016 व उनवानी मोहनी बनाम प्रदीप मुकदमा नं. 92/2016 पेश की गई। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी ने उक्त अपीलों को दिनांक 29.07.2024 को स्वीकार कर न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 22.02.2016 को अपास्त कर दिया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 3292 निरस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाली के आदेश दिये जायें। वकील प्रार्थी को सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि न्यायालय हाजा द्वारा मुकदमा संख्या 124/2015 उनवानी प्रदीप बनाम मंगलचंद में पारित आदेश दिनांक 22.02.2016 को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी ने अपील संख्या 65/2016 उनवानी मंगलचंद बनाम प्रदीप व अपील संख्या 92/2016 उनवानी मोहनी बनाम प्रदीप में दिनांक 29.07.2024 को निर्णय पारित किया जिसमें न्यायालय हाजा के निर्णय को अपास्त कर पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर दी। अतः बाद अवलोकन पत्रावली प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। –: आदेश :– प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम/कस्बा झुंझुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं में स्थित हाल भूमि खसरा नं. 3174 लगायत 3182 कुल रकबा 15.83 है0 में नामान्तकरण संख्या 3392 स्वीकृति दिनांक 21.03.2016 को निरस्त किया जाता है। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 8/5/25 को खुले इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) (हवाई सिंह यादव) 08/05/25 उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	